

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (के-63/2008)/अलेसे-11/

357

दिनांक:- 16/5/2017

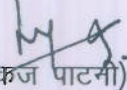
कार्यालय आदेश

श्री किशोर कुमार (लिंग नं. 9155) सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय पंचायत समिति, सायला (जालौर) की नियुक्ति विभागीय आदेश संख्या 49/2012-13 दिनांक 16.05.2012 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम-6 के अनुसार उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षाधीन लेखाकार क रूप में की गई थी। श्री किशोर कुमार द्वारा उक्त आदेशों की पालना में दिनांक 23.05.2012 को कार्यग्रहण किया गया। परीवीक्षाकाल में श्री किशोर कुमार का कार्य संतोषजनक नहीं होने व कर्तव्य से बार-बार स्वैच्छा से अनुपस्थित (दिनांक 08.07.2013 से 22.07.2013, 12.08.2013 से 09.12.2013, 13.06.2014 से 31.08.2014 एवं 08.09.2014 से 30.01.2017 तक) रहने के कारण राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम-1963 के नियम 33(1) के अनुसरण में श्री किशोर कुमार की परीवीक्षा-प्रशिक्षण अवधि दिनांक 22.05.2017 तक इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 2023 दिनांक 30.01.2017 द्वारा बढ़ाई गई।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सायला के पत्र क्रमांक पंससा/संस्था/2015/1004 दिनांक 10.07.2015 के अनुसार श्री किशोर कुमार दिनांक 08.09.2014 से बिना अनुमति एवं अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय छोड़कर चले गये। अतः श्री किशोर कुमार के द्वारा कार्यालय में स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण इस विभाग के पत्र क्रमांक 2016 दिनांक 30.01.2017 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उसे तत्काल कर्तव्य पर उपस्थित होकर स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के कारणों से 7 दिवस में निदेशालय को अवगत कराने हेतु लिखा गया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सायला के पत्र क्रमांक प.स.सा/संस्था/2017/242 दिनांक 03.02.2017 के अनुसार श्री किशोर कुमार द्वारा दिनांक 03.02.2017 को मध्याह्न पूर्व उपस्थिति दी गई किन्तु स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के कारणों से इस निदेशालय को अवगत नहीं कराया गया। अतः निदेशालय के पत्र क्रमांक 2184 दिनांक 13.02.2017 द्वारा श्री किशोर कुमार को कारण बताओ नोटिस का जवाब 3 दिवस में भिजवाने हेतु पुनः लिखा गया। जिसके उत्तर में श्री किशोर कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 23.02.2017 द्वारा निदेशालय को यह अवगत कराया गया कि उसके पिताजी श्री दलाराम रागी मानसिक रोग से पीड़ित हैं। उनका लम्बे समय से ईलाज चल रहा है तथा जून, 2014 में उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उसे घर जाना पड़ा था। दिनांक 12.06.2014 को उसके द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सायला को सूचित कर दिया गया था। उसके बाद उसके पिताजी की बीमारी के कारण वह कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका। उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसके पिताजी के उपचार संबंधी कार्य तथा सेवा उसे ही करनी पड़ती है।

श्री किशोर कुमार के स्पष्टीकरण पर इस निदेशालय द्वारा विचार करने पर यह पाया गया कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 96 के अन्तर्गत तथा वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेन्डम दिनांक 11.06.2014 के अन्तर्गत असाधारण अवकाश स्वीकृति योग्य नहीं बनता, नियमानुसार इतनी लम्बी अवधि का अवकाश अपवाद स्वरूप एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में कार्मिक और वित्त विभाग की पूर्वानुमति के पश्चात् ही स्वीकृत किया जा सकता है। कार्मिक की परिस्थितियाँ उपरोक्तानुसार नहीं होने तथा उसके द्वारा आवेदित अवकाश स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होने के कारण उसकी सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम-1963 के नियम 34 के अनुसार उसे रखाई किया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त श्री किशोर कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में दिया गया कारण भी ऐसा नहीं है जिसे अपरिहार्य परिस्थितियाँ माना जावें। अतः श्री किशोर कुमार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पूर्णतः असंतोषप्रद माना गया।

अतः श्री किशोर कुमार की सेवाओं में उत्पन्न व्यवधान, राजकार्य के प्रति उसकी उदासीनता नियमानुसार उसकी परिवीक्षा अवधि और बढ़ाया जाना संभव नहीं होने तथा सेवाओं में संतोष प्रदान करने में विफल रहने के कारणों को मददेनजर रखते हुए श्री किशोर कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II की सेवायें राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम-1963 के नियम 33(1) के अन्तर्गत तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।


(पंकज पाटनी)
निदेशक

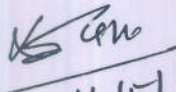
क्रमांक:- एफ.3 (ख) (के-63/2008)/अलेसे-11/

357-370

दिनांक:- 16/5/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जालोर/ कोषाधिकारी, जालौर।
4. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सायला (जालोर) को प्रेषित कर लेख है कि श्री किशोर कुमार की सेवा पुस्तिका में उक्त आदेश का इन्द्राज लाल स्याही से कराकर अनुपालना में इस निदेशालय को अवगत करावें।
6. श्री किशोर कुमार, स.ले.अ. ग्रेड-II कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सायला (जालोर)।
7. उपनिदेशक, एसीपी को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I) (एसीआर शाखा)।
10. पदस्थापन सीट।
11. निजी/ रक्षित पत्रावली।


16/5/17
(सांदरमल)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)